

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 128–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, JULY 18, 2022 (ASADHA 27, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जुलाई, 2022

संख्या 41/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (1) और धारा 15 की उप—धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35 / एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

क. प्रस्तावना में.

- (i) खण्ड (v) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ii) खण्ड (vi) में, "प्रतिशत" शब्द के बाद, "और" शब्द रखा जाएगा;
- (iii) खण्ड (vi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:— "(vii) अनुसूची vii में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.75 प्रतिशत। ";

ख. अनुसूची-2.5% में,-

- (i) क्रम संख्या 1 और 2 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 9 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"9क. 0403 दही, लस्सी, छाछ, जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

- (iii) क्रम संख्या 11 और 13 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, " जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

- (v) क्रम संख्या 25 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 26 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 30 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (viii) क्रम संख्या 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ix) क्रम संख्या 91 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"91क. 1701 बेंत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सिहत सभी प्रकार का गुड़, जो प्री—पै और लेबल किए गए हो; खांडसारी शुगर जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए 1702	
---	--

(x) क्रम संख्या 98 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"98क.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पार्च्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पार्च्ड धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित
		चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो";

- (xi) क्रम संख्या 101क के सामने, खाना (3) में, "उनसे भिन्न, जो इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xii) क्रम संख्या 163 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 181क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"181ख.	3006	ओस्टोमी उपकरण थैली या फ्लैंज, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम,
		सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो–पोर टेप सहित";

- (xiv) क्रम संख्या 182 के सामने, खाना (3) में, "जिन्हें इकाई आधानों में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है" शब्दों के स्थान पर, "जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xv) क्रम संख्या 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ड. और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 215 के सामने, खाना (3) में, "जो यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और जिनका ब्रांड नाम है" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xvii) क्रम संख्या 230, 232, 233, 234क और 234ग और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 255 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"255क.	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट, और ट्रसस; स्प्लिंट्स और
		अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष
		या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या शरीर में
		प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंट्राओक्युलर लेंस [हियरिंग एड्स के अलावा]";

(xix) क्रम संख्या 264 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, सूची 3 में, मद (ख) में, उप—मद (1) और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

ग. अनुसूची-।। में-6%,-

- (i) क्रम संख्या 16 के सामने, खाना (3) में, "अमरूद" शब्द के बाद "आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 41क के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 46 के सामने, खाना (3) में, "और इकाई आधान" से शुरू होने वाले और "दिया गया हो]" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर, "जो प्री—पैकेज्ड और लेबल किए गए हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 65 के सामने, खाना (3) में, "गर्भनिरोधक" शब्द के बाद, "और ओस्टोमी उपकरण" रखे जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 70 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 85क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''85ख	4107	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र—पोशाक चमड़े, गोजातीय (भैंस सहित) या घोड़े के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग	4112	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र—पोशाक चमड़े, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ	4113	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न, अन्य जानवरों के चर्मपत्र—पोशाक चमड़े सहित, बिना ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार किया गया चमड़ा
85ड़	4114	चामोइस (संयोजन चामोइस सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा
85च	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिंग्स और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमड़े की धूल, पाउडर और आटा";

- (vii) क्रम संख्या 120 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 125 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"125क"	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस,
		दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित शामिल हैं";

- (ix) क्रम संख्या 176ख में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्ट के स्थान पर "पलाई ऐश की ईंटे; पलाई ऐश समुच्चय; पलाई ऐश ब्लॉक" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी:
- (x) क्रम संख्या 187, 188, 189, 192 और 193 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 194 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"194क	8419 12	सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम";
-------	---------	----------------------------

- (xii) क्रम संख्या 195 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 197 में, खाना (3) में, "घास या सुखी घास कटित्र, अंडा फल या अन्य कृषि उपज की सफाई या छटाई या श्रेणीकरण के लिए मशीनें, उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं. 8437 की है; पार्टस [84339000]" शब्दों के स्थान पर, "उसके हिस्से" प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (xiv) क्रम संख्या 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची-III में - 9%,-

- (i) क्रम संख्या 30क में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान, पर "कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, चाहे निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 54ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"54ग	3215	प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान,
		चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही";

- (iii) क्रम संख्या 148 के सामने, खाना (3) में, "[एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न]" चिन्हों और शब्दों का लोप किया जाएगा:
- (iv) क्रम संख्या 157ख के सामने, खाना (3) में, "(ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के अलावा)" शब्दों के बाद ";चेक, गुम या बही के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;
- (v) क्रम संख्या 182घ के सामने, खाना (3) में, "फ्लाई ऐश ईंटे, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश समुच्चय, जिनमे फ्लाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न" शब्दों "[फ्लाई ऐश ईंटे, फ्लाई ऐश समुच्चय, फ्लाई ऐश ब्लॉक से भिन्न]" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) ''क्रम संख्या 301क'' को ''301कक'' के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित किए ''क्रम संख्या 301कक'' से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थातुः—

"301क	8211	काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू दाँतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक
		8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड";

- (vii) क्रम संख्या 302क के सामने, खाना (3) में, "(पेपर छुरियों, पैंसिल घडने वाले औजारों और उनके ब्लेड से भिन्न)" चिह्नों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 302क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"302ख	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी	
		चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर";	

- (ix) क्रम संख्या 317क के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "(i) कंक्रीट पंप (8413 40 00); (ii) अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप (8413 60); (iii) बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अर्थात्, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वांघर), गहरे ट्यूब—वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वांघर पंप" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (x) क्रम संख्या 317ख और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"317ग	8414 20 10	साइकिल पंप
317घ	8414 90 12	हवा के पुर्जे या वैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर";

(xi) क्रम संख्या 328 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"328क	8433	शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से (8433 90 00)
328ख	8434	दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी";

(xii) क्रम संख्या 329 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"329क	8437	सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए
		इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी,जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है";

(xiii) क्रम संख्या 371 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"371क	84 या	ई — अपशिष्ट
	85	व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई–अपशिष्ट का अर्थ है ई–अपशिष्ट
		(प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
		(भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (v) दिनांक 23 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित),
		संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में
		फेंक दिया जाता है";

- (xiv) क्रम संख्या 376कग के सामने, खाना (3) में, "(वैट ग्राइंडर, जिसमें पत्थर के ग्राइंडर लगे हों से भिन्न)" चिह्नों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 390 के सामने, खाना (3) में, "(प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न)" चिह्नों, शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 406 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"406क	8807	8801 शीर्षक के माल के भाग";
-------	------	-----------------------------

- (xvii) क्रम संख्या 413 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "ड्राइंग, मार्किंग—आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्रापिंटग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूल्स, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी
- (xviii) क्रम संख्या 438क के सामने, खाना (3) में, "एलईडी लाइटें और फिक्चर, जिसमें एलईडी लैंप भी हैं; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीडी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)" अक्षरों, शब्दों और चिह्नों का लोप किया जाएगा;

ङ. अनुसूची VI - 0.125% में,-

- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर—औद्योगिक" को प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ii) क्रम संख्या 3 के सामने, खाना (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध—कीमती पत्थरों (हीरों से भिन्न), चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुए अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध—कीमती पत्थर (हीरे से भिन्न); सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:
- च. अनुसूची VI में, तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची VII - 0.75%

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/उप– शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं से मिन्न अन्य सामान
2.	7104	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान";

- छ. अनुसूची VII के पश्चात्, व्याख्या में, खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
 - "(ii) 'प्री— पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश से अभिप्राय है, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'प्री—पैकेज्ड कमोडिटी', जहां विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पैकेज में माल पहले से पैक किया गया है या उस पर अनिवार्य घोषणा के संबंध में सुरक्षित रूप से लेबल विपका हुआ है।"।
- 2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th July, 2022

No. 41/GST-2.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, -

- A. In the opening paragraph
 - (i) in clause (v), the word "and" shall be omitted;
 - (ii) in clause (vi), after the word and figures "Schedule VI", the sign and word ", and" shall be inserted;
 - (iii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(vii) 0.75 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII".
- B. in Schedule I 2.5%,
 - (i) against serial numbers 1 and 2, under column (3), for the portion beginning with the words "and put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
 - (ii) after serial number 9 and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"9A

- (iii) against serial numbers 11 and 13, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (iv) against serial number 16, under column (3), for the portion beginning with the words "and put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (v) against serial number 25, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

- (vi) against serial number 26, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words "pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (vii) against serial number 30, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (viii) against serial numbers 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (ix) after serial number 91 and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

	"91A	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled";
--	------	--------------------	---

(x) after serial number 98 and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"98A	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly
		known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice
		coated with sugar or gur, commonly known as Murki, pre-packaged and labelled";

- (xi) against serial number 101A, under column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", other than those pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (xii) Serial number 163 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (xiii) after serial number 181A and the entries thereagainst, following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"181B	Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier
	cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes";

- (xiv) against serial number 182, under column (3), for the words "put up in unit containers and bearing a brand name", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (xv) Serial numbers 197A, 197B, 197C, 197D and 197E and entries thereagainst shall be omitted;
- (xvi) against serial number 215, under column (3), for the words "put up in unit container and bearing a brand name", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (xvii) Serial numbers 230, 232, 233, 234A and 234C and entries thereagainst shall be omitted;
- (xviii) after serial number 255 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"255A	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints
		and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances
		which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect
		or disability; intraocular lens [other than hearing aids]";

(xix) after serial number 264 and entries thereagainst, in List No. 3, in item (B), the sub-item (1) and the entries thereagainst shall be omitted;

C. in Schedule II -6%, -

- (i) against serial number 16, under column (3), after the word "guavas", the words and brackets ", mangoes (other than mangoes sliced, dried)" shall be inserted;
- (ii) against serial number 41A, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;
- (iii) against serial number 46, under column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

- (iv) against serial number 65, under column (3), after the word "contraceptives", the words "and Ostomy appliances" shall be inserted;
- (v) Serial number 70 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (vi) after serial number 85A and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"85 B	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114.
85C	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114.
85D	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114.
85E	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather.
85F	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour";

- (vii) Serial number 120 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (viii) after serial number 125 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

"125A	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases,
		wall maps, topographical plans and globes, printed";

- (ix) against serial number 176B, for the entry under column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted;
- (x) Serial numbers 187, 188, 189, 192 and 193 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (xi) after serial number 194 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"194A	8419 12	Solar water heater and system";
-------	---------	---------------------------------

- (xii) Serial number 195 and the entries thereagainst shall be omitted;
- (xiii) against serial number 197, under column (3), for the words and figures "machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts [8433 90 00]", the words "parts thereof" shall be substituted;
- (xiv) Serial numbers 198, 205, 217, 221, 226 and 227 and the entries thereagainst shall be omitted;
- D. in Schedule III -9%, -
 - against serial number 30A, for the entry under column (3), the entry "Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars" shall be substituted;
 - (ii) after serial number 54B and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"54C	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks,
	whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink";

- (iii) against serial number 148, under column (3), the brackets and words "[Other than aseptic packaging paper]" shall be omitted;
- (iv) against serial number 157B, under column (3), after the word and bracket "Scrips)", the figures and words "; Cheques, loose or in book form" shall be inserted;

- (v) against serial number 182D, under column (3), for the brackets, words and figures "[other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content]", the brackets and words "[other than Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks]" shall be substituted;
- (vi) Serial number 301A shall be re-numbered as serial number 301AA, and before serial number 301AA as so re-numbered, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:

"301A	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other
		than knives of heading 8208, and blades therefor";

- (vii) against serial number 302A, under column (3), the brackets and words "[other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]" shall be omitted;
- (viii) after serial number 302A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"302B	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives,	
		sugar tongs and similar kitchen or tableware";	

- (ix) against serial number 317A, for the entry under column (3), the entry "(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps" shall be substituted;
- (x) after serial number 317B and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"317C	8414 20 10	Bicycle pumps
317D	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps";

(xi) after serial number 328 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"328A	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]	
328B	8434	Milking machines and dairy machinery";	

(xii) after serial number 329 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"329A	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous
		vegetables; machinery used in milling industry or for the working of
		cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and
		parts thereof";

(xiii) after serial number 371 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"371A	84 or	E-waste	
	85	Explanation For the purpose of this entry, E-waste means electrical and	
		electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management)	
		Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the	
		23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer	
		or bulk consumer";	

- (xiv) against serial number 376AC, under column (3), the brackets and words "[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]" shall be omitted;
- (xv) against serial number 390, under column (3), the brackets, words and letters "[other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]" shall be omitted;
- (xvi) after serial number 406 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"406A 8807	Parts of goods of heading 8801";
------------	----------------------------------

- (xvii) against serial number 413, for the entry under column (3), the entry "Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter" shall be substituted;
- (xviii) against serial number 438A, under column (3), the letters, words, and brackets "LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)" shall be omitted;
- E. in Schedule VI 0.125%.
 - (i) against serial number 1, for the entry under column (3), the entry "Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial" shall be substituted;
 - (ii) against serial number 3, for the entry under column (3), the entry "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped" shall be substituted;
- F. after Schedule VI and before Explanation, following entries shall be inserted, namely:-

"Schedule VII – 0.75%

Serial Number	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against serial number 1 in Schedule VI
2.	7104	Goods other than those specified against serial number 3 in Schedule VI";

- G. after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the entries thereagainst, the following clause shall be substituted, namely:-
 - '(ii) The expression 'pre-packaged and labelled' means a 'pre-packaged commodity' as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act 1 of 2010) and the rules made thereunder.'.
- 2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

ANURAG RASTOGI, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.